पत्रांक–योजना बजट–234/2010 (खण्ड) /प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण एवं वन विभाग।

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–......../09/2015

विषय :– निर्माणाधीन "अरण्य भवन" में आंतरिक साज–सज्जा, उपस्कर एवं विद्युतिकरण इत्यादि कार्य के लिए स्वीकृत ₹691.34 लाख (छः करोड़ एकानवे लाख चौंतीस हजार ₹) मात्र का संशोधित प्राक्कलित राशि ₹927.58 लाख (नौ करोड़ सत्ताई लाख अनठावन हजार ₹) मात्र होने के फलस्वरूप संशोधित योजना की स्वीकृति एवं उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु भवन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में अन्तर राशि ₹236.24 लाख (दो करोड़ छत्तीस लाख चौबीस हजार ₹) मात्र की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राइडिंग रोड पटना में निर्माणाधीन "अरण्य भवन" में आंतरिक साज–सज्जा, उपस्कर एवं विद्युतिकरण इत्यादि कार्य के लिए स्वीकृत ₹691.34 लाख (छः करोड़ एकानवे लाख चौंतीस हजार ₹) मात्र का संशोधित प्राक्कलित राशि ₹927.58 लाख (नौ करोड़ सत्ताई लाख अनठावन हजार ₹) मात्र होने के फलस्वरूप संशोधित योजना की स्वीकृति एवं उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु भवन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में अन्तर राशि ₹236.24 लाख (दो करोड़ छत्तीस लाख चौबीस हजार ₹) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्योदश संख्या–1723 दिनांक–11.06.2014 द्वारा उक्त भवन में आंतरिक साज–सज्जा, उपस्कर एवं विद्युतीकरण इत्यादि कार्य के लिए पूर्व से स्वीकृत ₹691.34 लाख (छः करोड़ एकानवे लाख चौंतीस हजार ₹) मात्र के आलोक में कार्य सम्पादित किये जाने के क्रम में राशि कम पड़ जाने के कारण वह कार्य अपूर्ण है जिसे पूर्ण क्रियावन्यन हेतु कार्य एजेंसी IDA द्वारा, इस योजना को संशोधित करते हुए अन्तर राशि की आवश्यकता बताये जाने के फलस्वरूप कार्य को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में ही पूर्ण करने के दृष्टिपथ में अन्तर राशि की स्वीकृति दी जा रही है।

3. कार्यपालक अभियंता (तकनीकी) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुसूची एवं तकनीकी स्वीकृत प्राकल्लन के अनुसार स्वीकृत इस योजना राशि से निम्न रूप में व्यय किया जायेगा :–

Sl. No.	Particulars	Original Estimated Amount	Revised Estimated Amount
i	Total Revised Amount (Project Cost) for Technical Sanction	Rs. 68094950.00	Rs. 86624434.45
ii	Say		Rs. 86624434.00
iii	Add 1% above on schedule item of cost 2369680.70		Rs. 23696.80
	Total		Rs. 86648130.80
iv	Paid Amount up to 31st May, 2015		Rs. 64739523.00
v	Remaining Amount after to 31st May, 2015		Rs. 21908607.80
vi	Service Tax @ 5.6%		Rs. 1226882.03
	Sub Total		Rs. 87875012.83
vii	Contingency @ 1% on One Crore		Rs. 100000.00
viii	Contingency @ 0.5% on Remaining Amount		Rs. 389375.06
ix	IDA Charge @ 2% on revised amount		Rs. 1757500.25
x	Consultancy charge @ 3%		Rs. 2636250.38
	Total		Rs. 92758138.52
	Say		Rs. 92758139.00

4. राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष– 01– वानिकी, लघु शीर्ष –070– संचार तथा भवन, माँग संख्या– 19, उप शीर्ष–0102– भवन, विपत्र कोड पी०4406010700102 के विषय शीर्ष 27 01–लघु कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित एवं प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबद्ध कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी एवं उनके द्वारा निकासी की गई राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (IDA), पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

6. इस योजना प्रस्ताव में दिनांक–07.09.2015 को विभागीय स्थाई वित्त समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक–2688 दिनांक–07.09.2015 द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा एवं विभागीय मंत्री का अनुमोदन मूल संचिका के पृष्ठ–87/टि० पर दिनांक–08.09.2015 को प्राप्त है।

7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में संचिका के पृष्ठ–05/टि० पर दिनांक–08.09.2015 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. इस राशि का आवंटन निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता एवं वित्तीय नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने/नियमानुसार सरकार के निदेशों का अनुपालन कराने/कार्य प्रगति का अनुश्रवण कराने एवं कार्य का मासिक प्रगति प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार को ससमय समर्पित किये जाने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), पटना का होगा।

11. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण करने का दायित्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना का होगा।

विश्वासभाजन,
ह०/–
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–योजना बजट– 234/2010(खण्ड) 2731 **/प०व० पटना–15, दिनांक–**09**/09/2015**

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना–4/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/आप्त सचिव, मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पटना–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पटना वन प्रमण्डल, पटना/सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी०(मैनेजर)/पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/9/15
(रत्नेश झा)
सरकार के उप सचिव